न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/104

1. गीता बाई पत्नी स्व. राजेश
2. अर्जुन राठौर पुत्र स्व. राजेश
3. प्रताप राठौर पुत्र स्व. राजेश
4. हेमन्त राठौर पुत्र स्व. राजेश
5. आकाश राठौर पुत्र स्व. राजेश

निवासीगण उंदालिया की डूंगरी बून्दी तहसील व जिला बून्दी राज.

––अपीलान्टगण

बनाम

सांवला पुत्र गंगाराम जाति मीणा निवासी ग्राम उमरथूना तहसील व जिला बून्दी राज.

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री कपिल सैनी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कैलाश गुप्ता अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 31.07.2025**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 264/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2025 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम उमरथूना तहसील व जिला बून्दी में भूमि खसरा संख्या 372/1 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा विस्थित हैं। वादीगण इस भूमि के गैर खातेदार स्वामी है। जमाबंदी सम्वत् 2050 से 2053 में इसी प्रकार अंकन हो रहा हैं। वादी क्रम 1 के पति व वादी क्रम 2 के पिता का निधन हो जाने के पश्चात् वादी क्रम 1 विधवा होने व वादी क्रम 2 के नाबालिग होने के कारण वादी क्रम 1 ने लगभग 6–7 वर्ष पूर्व प्रतिवादी से विवादित भूमि में आधोली कर ली थी। आधोली की शर्त यह थी कि भूमि पर काश्त का सब काम प्रतिवादी करेगा। लगान व पिलाई वादीगण अदा करेगें। उपज में से बीज निकालने के बाद उपज आधी आधी बांट ली जावेगी। प्रतिवादी ने आधोली की। उसने आधोली की की उपज जेठ सम्वत् 2051 तक दी। उसके बाद उसने वादीगण से बिना कोई वार्ता किये भूमि को हांका जोता तो वादीगण ने प्रतिवादी से कहा कि वह आधोली समाप्त समझे व भूमि पर नहीं जावें। किन्तु प्रतिवादी ने वादीगण असहाय होने का

नाजायज लाभ उठाकर भूमि पर आषाढ सम्वत् 2051 से जबरन कब्जा कर लिया और अभी तक भूमि पर कब्जा बनाये हुए हैं। वादीगण अधिकारी हैं कि प्रतिवादी को वाद पत्र के चरण क्रम 1 में वर्णित भूमि से बेदखल करवाकर वापिस कब्जा प्राप्त करें व आषाढ़ सम्वत् 2051 से जब तक भूमि पर वापिस कब्जा नहीं दिला दिया जाता उस तिथि तक 5000/-रू० वार्षिक से हर्जाना स्वरूप राशि प्राप्त करें। वादीगण द्वारा इत्यादि अंकित कर निवेदन किया प्रतिवादी को भूमि खसरा संख्या 372/1 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा विस्थित ग्राम उमरथुना से बेदखल किया जाकर रिक्त भूमि पर कब्जा दिलाया जावें। वादीगण को प्रतिवादी से आषाढ़ सम्वत् 2050 से भूमि पर वापिस कब्जा दिलाये जाने तक प्रतिवर्ष के उपयोग, उपभोग के हर्जाने स्वरूप 5000/-रू० की दर दिलाये जावें। अन्य न्यायोचित सहायता जिसका वादीगण को अधिकारी माना जावें, दिलाई जावें। वाद व्यय वादीगण को प्रतिवादी से दिलाया जावें।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.02.2025 को वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किए जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2025 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि निर्णय एवं डिक्री योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्याय विधि एवं पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 1 को निर्णित कर भारी कानूनी व तथ्यात्मक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना है कि वादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं किया कि वादीगण का भूमि पर कब से कब तक कब्जा रहा। जबकि माननीय अधीनस्थ न्यायालय को इस तथ्य पर गौर करना चाहिए था कि सांवला भूमि पर कैसे कब्जे में आया। वादीगण ने अपनी साक्ष्य से यह प्रमाणित कर दिया था कि प्रतिवादी को उक्त जमीन आधोली पर दी गई थी, उसके द्वारा आधोली देना बन्द करने तथा जमीन पर कब्जा छोडने से इन्कार करने पर प्रतिवादी के विरूद्ध बेदखली का दावा पेश करना पड़ा तथा वादीगण ही जमाबन्दी में खातेदार के रूप में अंकित है, जिसकी जमाबंदी पेश कर प्रदर्शित करवाई गई थी। अपने

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

तथ्य के समर्थन में पत्रावली पर मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश होने पर भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तनकी को वादीगण (अपीलांटगण) के विरूद्ध निर्णित कर भारी कानूनी भूल की है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 1 को वादीगण के विरूद्ध निर्णित किये जाने का एक आधार यह माना है कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत इकरार नामा ए–1 के मुताबिक विवादित भूमि का बैचान वादीगण के पूर्वज श्रवण कुमार द्वारा किया गया तथा उक्त इकरारनामा को अनुप्रमाणित करने के लिए वादीगण ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की तथा आघोली काश्त के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर आई साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन नहीं किया। दस्तावेज प्रदर्श ए–1 को आपत्ति सुरक्षित रखते हुये प्रदर्श अंकित किया गया था परन्तु माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आपत्ति का निस्तारण किये बिना ही विक्रय पत्र प्रदर्श ए–1 पर विश्वास करके तनकी का निर्णय कर भारी भूल की है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना है कि वादीगण द्वारा आधोली के कोई दस्तावेज पेश नहीं किये, जबकि इस बात पर गौर नहीं किया है कि राजस्थान में आधोली का कोई दस्तावेज नहीं लिखा जाता है मौखिक रूप से ही बात तय होती हे तथा बाद में फसल का बंटवारा कर लिया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 1 का निर्णय वादीगण के विरूद्ध कर भारी कानूनी भूल की है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 5 का निर्णय वादीगण के विरूद्ध कर भारी भूल की है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बात पर गौर नहीं किया कि इकरारनामा (प्रदर्श ए–1) साक्ष्य में पठनीय नहीं है जिसकी आपत्ति भी दर्ज की गई थी तथा उक्त आपत्ति का निराकरण किये बिना ही निर्णय कर दिया गया ती प्रतिवादी द्वारा इकरार नामें को विधिक रूप से प्रमाणित भी नहीं किया गया तथा इस कानूनी बिन्दू पर भी गौर नहीं किया गया कानूनकोई दस्तावेज या इकरार निष्पादित ही नहीं किया जा सकता, उक्त सभी तथ्यों को नज़र अन्दाज करके माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने इकरारनामें को आधार मानते हुये निर्णय पारित किया तथा तनकी संख्या 5 का निर्णय वादीगण के विरूद्ध किया, जबकि यह साक्ष्य से प्रमाणित है कि इकरारनामा कानूनन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है तथा प्रतिवादी द्वारा उसे प्रमाणित भी नहीं किया गया तथा दस्तावेज की भूमि गैर खातेदारी की होने से दस्तावेज प्रारम्भ से ही शून्य है तो प्रतिवादी सांवला किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं था तथा वादीगण को भूमि का कब्जा दिलाया जाकर प्रतिवादी को भूमि से बेदखल किया जाना चाहिए था, फिर भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 5 का निर्णय वादीगण के विरूद्ध कर भारी भूल की है। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 27.02.2025 को निरस्त किए जाने तथा तनकी संख्या 1 व 5 का निर्णय अपीलान्ट के पक्ष में किया जाकरा भूमि खसरा संख्या 372/1 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा विरिथत ग्राम उमरथूना का कब्जा अपीलांटगण को दिलाए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अपीलांटगण का वादग्रस्त भूमि में कोई हक अधिकार नहीं है। अपीलांटगण का वादग्रस्त भूमि में पूर्व में कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांटगण से कभी भी किसी प्रकार की कोई आधोली नहीं की गई है। प्रश्नगत खसरा संख्या 372/1 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा वाके ग्राम उमरथुना की भूमि अपीलांटगण के पिता व पति श्रवण को अलोट हुई थी। श्रवण ने इस कृषि भूमि को दिनांक 22.05.85 को कुल 15000/–रू0 में विक्रय करके रेस्पोडेन्ट को उसी दिन मौके पर जाकर

कब्जा सम्भला दिया था एवं इस बाबत दिनांक 22.05.85 को एक पांच रू० के नोन जुडिशियल स्टाम्प पर इकरार नामा भूमि बेचान लिखकर इकरार किया था कि उसने उक्त वर्णित कृषि भूमि को प्रतिवादी को कुल 15000/–रू० में बेचान कर दिया हैं एवं विक्रय राशि में से 14000/–रू० अक्षरे चौदह हजार रू० नकद प्राप्त कर लिये हैं एवं शेष 1000/–रू० बेचानकर्ता श्रवण बवक्त रजिस्ट्री प्रतिवादी से प्राप्त कर लेगा परन्तु कुछ माह पश्चात् ही श्रवण का स्वर्गवास हो गया और रेस्पोडेन्ट अपीलांटगण से 1000/–रू० लेकर रेस्पोडेन्ट के हक में उक्त विक्रय की रजिस्ट्री करवाने का निवेदन करता रहा परन्तु अपीलांट टालम टोल करते रहे हैं। रेस्पोडेन्ट के द्वारा उक्त कृषि भूमि क्रय करने के दिनांक 22.05.85 से ही रेस्पोडेन्ट का इस कृषि भूमि पर अपीलांटगण की जानकारी में खुले रूप से निर्बाध रूप से लगातार कब्जा चला आ रहा है एवं अपीलांटगण को श्री श्रवण द्वारा उक्त वर्णित कृषि भूमि अपीलांटगण को विक्रय करने की पूर्ण जानकारी है। जिसकी आपत्ति अपीलांटगण ने कभी नहीं की हैं। इस कारण अब अन्यथा कथन कहने से भी स्टोप्ड हैं। रेस्पोडेन्ट का लगातार 12 वर्ष से भी अधिक समय से कब्जा होने के कारण रेस्पोडेन्ट कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी उक्त वर्णित कृषि भूमि का खातेदार आसामी हो चुका हैं। अपीलांटगण का वादग्रस्त आराजी में कोई हक अधिकार निहित नहीं है अतः अपीलांटगण वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध किसी प्रकार का बेदखली का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2025 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2009(3) डब्ल्यु.एल.एन. पेज 26, 2002 डी.एन.जे.(एस.सी.) पेज 207, 1995 आर.आर.डी. पेज 463 प्रस्तुत किए। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.07.2025 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया।

सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादीगण अपीलांटगण द्वारा वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम उमरथूना तहसील व जिला बून्दी की खसरा संख्या 372/1 रकबा 5 बीघा 1

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

बिस्वा के सम्बंध में रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध बेदखली का अनुतोष चाहा गया है। अपीलांटगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्टगण को सम्वत् 2051 तक सशर्त आधौली पर दी थी परन्तु रेस्पोडेन्टगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर जबरन अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2050 से 2053 के अनुसार वादग्रस्त आराजी राजेश वल्द श्रवण व पार्वती बेवा श्रवण की गैर खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आवंटन प्रोसेसिंग रजिस्टर की फोटोप्रति संलग्न है जिसमें सलाहकार समिति द्वारा वादग्रस्त भूमि श्रवण कुमार आत्मज गोपीलाल को आवंटित किए किए जाने का अंकन है। अतः वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण के दादा श्रवण की आवंटनशुदा भूमि है तथा जमाबंदी सम्वत् 2050 से 2053 के अनुसार वाद्रगस्त आराजी गैर खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। रेस्पोडेन्टगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा अपीलांटगण के दादा श्रवण कुमार द्वारा वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट को विक्रय की जा चुकी है तथा वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट खरीद दिनांक से ही काबिज होकर काश्त कर रहा है। अपने कथनों के समर्थन में रेस्पोडेन्ट ने असल इकरारनामा प्रस्तुत किया है जिस पर दिनांक 22.05.1985 अंकित है। उक्त इकरारनामा तहरीर में वादग्रस्त आराजी श्रवण कुमार द्वारा रेस्पोडेन्ट सांवला को विक्रय किए जाने तथा विक्रय की एवज में प्रतिफल प्राप्त किए जाने का अंकन है। अतः श्रवण द्वारा वादग्रस्त आराजी का बेचान रेस्पोडेन्ट के पक्ष में किया जाना प्रकट होता है परन्तु उक्त बेचान के वैध/अवैध होने का प्रश्न हस्तगत प्रकरण की विषयवस्तु नहीं होने से उक्त बेचान पर किसी प्रकार की टिप्पणी किया जाना आवश्यक नहीं है। अपीलांटगण द्वारा वादग्रस्त आराजी को रेस्पोडेन्ट को आधोली में दिए जाने के सम्बंध में कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः हमारे मत में वादग्रस्त भूमि में रेस्पोडेन्टगण का कब्जा अपीलांटगण द्वारा कथित आधोली के आधार पर नहीं होकर प्रश्नगत इकरारनामा दिनांक 22.05.1985 के आधार पर होना प्रकट होता है। अपीलांटगण वादग्रस्त भूमि को रेस्पोडेन्ट को आधोली में दिए जाने तथा उसके पश्चात रेस्पोडेन्ट द्वारा जबरन कब्जा किए जाने के कथन को प्रमाणित करने में असफल रहे है। हमारे मत में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वादग्रस्त आराजी पर प्रश्नगत इकरारनामा दिनांक 22.05.1985 के आधार पर काबिज काश्त होना प्रकट होता है। चूंकि गैर खातेदारी में दर्ज भूमि का किसी प्रकार से बेचान किया जाना आवंटन शर्तों के विरूद्ध है। साथ ही आवंटन शर्तों के अनुसार गैर खातेदारी की भूमि में आवंटी का कब्जा होना कानूनन आवश्यक है। अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी में आवंटन के पश्चात स्वयं का कब्जा होना प्रमाणित करनें में असफल रहे है। साथ ही अपीलांटगण द्वारा वादग्रस्त आराजी को रेस्पोडेन्ट को आधोली में दिए जाने बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलांटगण वादीगण को वाद एवं अपील में अंकित कथनों को ठोस दस्तावेजों/साक्ष्यों के आधार पर स्वयं सिद्ध करना आवश्यक है। केवल मौखिक कथनों के आधार पर अपीलांटगण के कथनों को प्रमाणित होना स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हमारे मत में अपीलांटगण वादीगण प्रश्नगत वाद एवं अपील में अंकित कथनों को प्रमाणित करने में असफल रहे है अतः अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वाद एवं अपील खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वाद को रेकॉर्ड एवं साक्ष्यों के अभाव में खारिज किए जाने का जो आदेश अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27.01.2025 में अंकित किया है वह विधि सम्मत है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व

डिक्री दिनांक 27.01.2025 विधि सम्मत होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य हैं।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 264/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2025 यथावत रखी जाती है।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/7/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

Judl/Govt.
Part 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मुरलीधर प्रतिहार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2025/104

1. गीता बाई पत्नी स्व. राजेश
2. अर्जुन राठौर पुत्र स्व. राजेश
3. प्रताप राठौर पुत्र स्व. राजेश
4. हेमन्त राठौर पुत्र स्व. राजेश
5. आकाश राठौर पुत्र स्व. राजेश
   निवासीगण उंदालिया की डूंगरी बून्दी तहसील व जिला बून्दी राज.

––अपीलान्टगण

बनाम

सांवला पुत्र गंगाराम जाति मीणा निवासी ग्राम उमरथूना तहसील व जिला बून्दी राज.

––रेस्पोडेन्ट

वाद संख्याः 264/2002

1. पारवती देवी बेवा श्रवण जाति तेली निवासी गुढ़ानाथवतान् हाल निवासी उन्दालिया की डूंगरी बून्दी(विलोपित)
2. राजेश पुत्र श्रवण जाति तेली निवासी गुढ़ानाथवतान् हाल निवासी उन्दालिया की डूंगरी बून्दी तहसील व जिला बून्दी राजस्थान मृतक के कायम मुकामान–
   1/1–गीता बाई पत्नी स्व. राजेश
   1/2–अर्जुन राठौर पुत्र स्व. राजेश
   1/3–प्रताप राठौर पुत्र स्व. राजेश
   1/4–हेमन्त राठौर पुत्र स्व. राजेश
   1/5–आकाश राठौर पुत्र स्व. राजेश
   सभी जाति तेली निवासीगण उंदालिया की डूंगरी बून्दी तहसील व जिला बून्दी राज.

–वादीगण

बनाम

सांवला पुत्र गंगाराम जाति मीणा निवासी ग्राम उमरथूना तहसील व जिला बून्दी राज.

–प्रतिवादी

(11)

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद संख्या 264/2002 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.02.2025 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. उक्त अपील तारीख 31.07.2025 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री कपिल सैनी तथा रेस्पोडेन्ट की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री कैलाश गुप्ता के उपस्थित होने पर यह आदेश दिया जाता है कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 264/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2025 यथावत रखी जाती है।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

4. यह डिक्री आज तारीख 31.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

31/7

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा